RJPP, Vol. 14, No. 1, 2016 ISSN (P): 0976-3635, (e): 2454-3411

महिला नेतृत्व और पंचायती राज

अश्वनी*

प्रस्तावना

स्वतंत्रता मिलने के साथ ही लोकतंत्रीय राज्य में जनता को उसके अपने कल्याण कार्य में सहभागी बनाने की पद्धति पर विचार किया जाना आवश्यक था। वयस्क मताधिकार से राज्यों को विधानमण्डलों तथा भारत की संसद के लिए अपने प्रतिनिधि चुनने के काम में जनता साझीदार बनी। परंतु केवल यही एक कारक कल्याणकारी राज्य की बुनियादी समस्याओं से निपटने के लिए अपने आप में पर्याप्त नहीं था। भारतीय संविधान के अंतर्गत पंचायती राज को राज्य सूची के अंतर्गत शामिल किया गया है। सातवीं अनुसूची का सूची 2 राज्य सूची में 5वाँ विषय पंचायती राज से संबंधित है जो कि इस प्रकार हैः ''स्थानीय शासन, अर्थात् नगर निगमों, सुधार न्यासों, जिला बोर्डों, खनन बस्ती प्राधिकारियों और स्थानीय स्वशासन या ग्राम प्रशासन के प्रयोजनों के लिए अन्य स्थानीय प्राधिकारियों का गठन और शक्तियाँ''। संविधान की धारा 40 जिसमें ग्राम–शासन की बात निम्न प्रकार से स्पष्ट की गई है – ''राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा और उनको ऐसी शक्तियाँ और प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की ईकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक हो।'' यह धारा राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों का एक अंग है। लेकिन इसे लागू करने के लिए कोई कानून नहीं बनाया गया था। बलवंत राय मेहता समिति ने लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण पर आधारित त्रि–स्तरीय पंचायत राज को स्थापित करने की अनुशंसा की। ये त्रि–स्तर हैं – ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, मध्य स्तर पर पंचायत समिति तथा शीर्ष स्तर पर जिला परिषद्। साथ ही इस त्रि–स्तरीय पंचायती राज की सफलता के लिए तीन बिंदुओं को आवश्यक माना – सत्ता का विकेन्द्रीकरण, विकेन्द्रीकृत इकाईयों को विकास के लिए पर्याप्त साधन प्रदान करना एवं कर्त्तव्य की समझ तथा प्रशिक्षण की व्यवस्था।

जी.बी.के. राव समिति (1985) ने योजना आयोग के परामर्श से अपना प्रतिवेदन तैयार किया। इसमें प्रजातांत्रिक विकेन्द्रीकरण की एक साहसिक योजना प्रस्तुत की गई। समिति का मत था कि सामाजिक न्याय और आर्थिक विकास की जिम्मेदारी केवल सरकारी मशीनरी पर नहीं थोपनी चाहिए। यह आवश्यक है कि स्थानीय लोगों व उनके प्रतिनिधियों को ग्रामीण विकास के कार्यक्रमों को तैयार करने व उनके क्रियान्वयन में प्रभावी रूप से सहभागी बनाया जाये। समिति ने यह भी सिफारिश की कि जिले को नीति–नियोजन व कार्यक्रम क्रियान्वयन की आधारभूत इकाई बनाया जाये। ***समिति द्वारा पहली बार विविध स्तरों पर अनुसूचित जाति/जनजाति एवं महिलाओं के लिए आरक्षण की भी सिफारिश की थी।*** राव समिति की रिपोर्ट के एक वर्ष बाद एल.एम. सिंघवी की अध्यक्षता में पंचायती राज संबंधी प्रपत्र तैयार करने के लिए समिति गठित की गई जिसने अपनी रिपोर्ट 27 नवम्बर, 1986 को प्रस्तुत की। इसकी प्रमुख सिफारिशें थी समिति ने पहली बार पंचायतों से संबंधित संविधान संशोधन विधेयक का मसौदा तैयार किया। इस समिति का दृष्टिकोण था कि पंचायतों को एक ऐसे समग्र संस्थागत ढांचे के रूप में संगठित किया जाना चाहिए जिसका आधार नीचे से ऊपर की और उन्मुख लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण हो। इन स्वशासन की संस्थाओं के माध्यम से इनका उद्देश्य विकेन्द्रीकृत शासन, योजना तथा विकास की प्रक्रिया में जनता की सहभागिता था। 1988 में पी.के. थुंगन की अध्यक्षता में संसदीय सलाहकार समिति की एक उपसमिति ने पंचायती राज को सशक्त बनाने के लिए पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश की।

*सहायक प्रोफेसर, शिक्षा,दूर शिक्षा निदेशालय,मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी,हैदराबाद

इसके उपरांत ही मई, 1989 में संशोधन (64वां संशोधन) विधेयक संसद में पेश किया गया।

25 मई 1989 को 64 वें संविधान संशोधन विधेयक के नाम से संसद में प्रस्तुत किया गया। इसमें पंचायती राज संस्थाओं के नियमित चुनाव, वित्तीय अधिकारों में वृद्धि, महिलाओं और कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण जैसे वे सभी प्रावधान थे जो व्यापक विचार–विमर्श के दौरान सामने आये 64वां संविधान संशोधन विधेयक राजनीति का शिकार हो गया और लोकसभा में पारित होने के बाद राज्यसभा में वह पारित न हो सका और इस प्रकार सत्ता के विकेन्द्रीकरण के प्रगति का रथ कुछ समय के लिए रूक गया। 1991 में कांग्रेस के दुबारा सत्ता में आने पर मंत्री–स्तरीय समिति की सिफारिशों के आधार पर 16 सितम्बर, 1991 को संविधान (73वां संशोधन) विधेयक पेश किया गया जो 22 दिसंबर 1992 को संसद द्वारा पारित किया गया। 24 अप्रैल, 1993 राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने के बाद संविधान (73वां संशोधन) अधिनियम, 1992 के रूप में इसे अंतिम रूप मिला।

73वें संविधान संशोधन में मुख्य रूप से अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए जनसंख्या के हिसाब से पंचायतों में आरक्षण की व्यवस्था की गई है ***जबकि कुल एक–तिहाई स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं।*** ग्यारहवीं अनुसूची (अनुच्छेद 243 छ) में जो कार्य पंचायती राज संस्थाओं को सौंपे गये है उनमें परिवार कल्याण, महिला और बाल विकास भी शामिल है।

अध्ययन का उद्देश्य

- पंचायत राज संस्थाओं में महिला नेतृत्व की सहभागिता व सक्रियता का अध्ययन
- पंचायती राज संस्थाओ के कार्यो व अधिकारो के संदर्भ में महिला नेतृत्व का अध्ययन

अध्ययन क्षेत्र

इस अध्ययन क्षेत्र की प्रकृति भारतीय राज्यों के स्तर पर होने के कारण आदर्श चयन में उचित प्रतिनिधित्व का प्रश्न प्रमुख था। अध्ययन क्षेत्र का चयन चार स्तरों पर किया गया है। प्रथम स्तर पर राज्य के चयन के मुख्यतर्काधार में दो बातें रहीं पहली, वे राज्य जहाँ पंचायती राज व्यवस्था प्रभावी एवं सक्रिय हो एवं दूसरी हिंदी भाषी राज्य। उक्त आधार पर अध्ययन क्षेत्र के लिए पाँच हिंदी भाषी राज्यों मध्यप्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, उत्तरप्रदेश और बिहार का चयन किया गया है।

इस प्रकार हिंदी भाषी एवं प्रभावी सक्रिय पंचायती राज के चयन के उपरांत, इन राज्यों से जिलों का चयन एक मुख्य कार्य था। द्वितीय स्तर पर प्रत्येक राज्य से एक जिले का चयन किया गया। जिलों के चयन के पीछे निम्न कारण प्रमुख रहें –

– राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के समीपस्थ – गाजियाबाद
– आदिवासी बहुल पंचायत क्षेत्र – दौसा
– विषम लिंगानुपात पंचायत क्षेत्र – झज्झर
– संवैधानिक उपबंधो की पृष्ठभूमि का क्षेत्र – ग्वालियर
– सक्रिय जनआंदोलन एवं भागीदारी वाला क्षेत्र – भोजपुर

साथ–साथ ही उक्त जिलों के चयन में सोउद्देश्य पूर्ण रीति भी प्रमुख रही है।

तृतीय स्तर पर कार्य संबंधित जिलों से ब्लॉक का चयन करना रहा। इस हेतु शोधार्थी ने जिला स्तर पर विभिन्न पदाधिकारियों एंव पंचायत राज अधिकारियों से गहन विचार विमर्श कर प्रत्येक जिले में दो ब्लॉक का चयन किया। ब्लॉक के चयन का आधार प्रमुख रूप से ग्रामीण विकास योजनाओं में विकास खण्डों की भूमिका को बनाया गया है।

प्रस्तुत कार्य हेतु ग्रामों का चयन शोध कार्य के उद्देश्यों के परिप्रेक्ष्य में किया गया जिससे पंचायती राज की सक्रिय एवं प्रभावी भूमिका को समझा जा सके। साथ–साथ यह भी जानना महत्वपूर्ण था कि वे कौन से सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक व राजनीतिक कारण है जो इस दिशा में भूमिका निभा पाते हैं अथवा नहीं निभा पातें। इस आधार पर शोधार्थी ने प्रत्येक ब्लॉक से दो ग्राम पंचायतों का चयन किया। इसमें एक गाँव के विकास में बेहतर निष्पादन कर रही है तो दूसरी औसत से कम निष्पादन कर रही है। उक्त उद्देश्यों की पृष्ठभूमि में पंचायती राज एवं शैक्षिक विकेंद्रीकरण को बेहतर रुप से समझा जा सकता है। इन आधारों के लिए शोधार्थी द्वारा बनाए गए मापकों का रुप निम्नलिखित प्रकार से है –

बेहतर भागीदारी वाली ग्राम पंचायत के लिए – पुरस्कृत ग्राम पंचायत, बुनियादी सुविधाओं (शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, सड़कें) से युक्त ग्राम पंचायत, आदर्श ग्राम पंचायत, आदिवासी बहुल क्षेत्र मुख्य मापक रहे हैं।

औसत भागीदारी वाली ग्राम पंचायत के लिए – ग्राम पंचायत क्षेत्र में औसत से कम बुनियादी सुविधाएँ, ग्रामीण विकास योजनाओं के प्रति उदासीन, विद्यालयों में न्यून नामांकन स्थिति, सरकारी विद्यालयों में स्कूल छोड़ने की दर की प्रधानता मुख्य मापक रहे हैं।

अध्ययन क्षेत्र का विवरण

राज्य → जिला → 2 ब्लॉक → प्रत्येक ब्लॉक से 2 ग्राम पंचायत

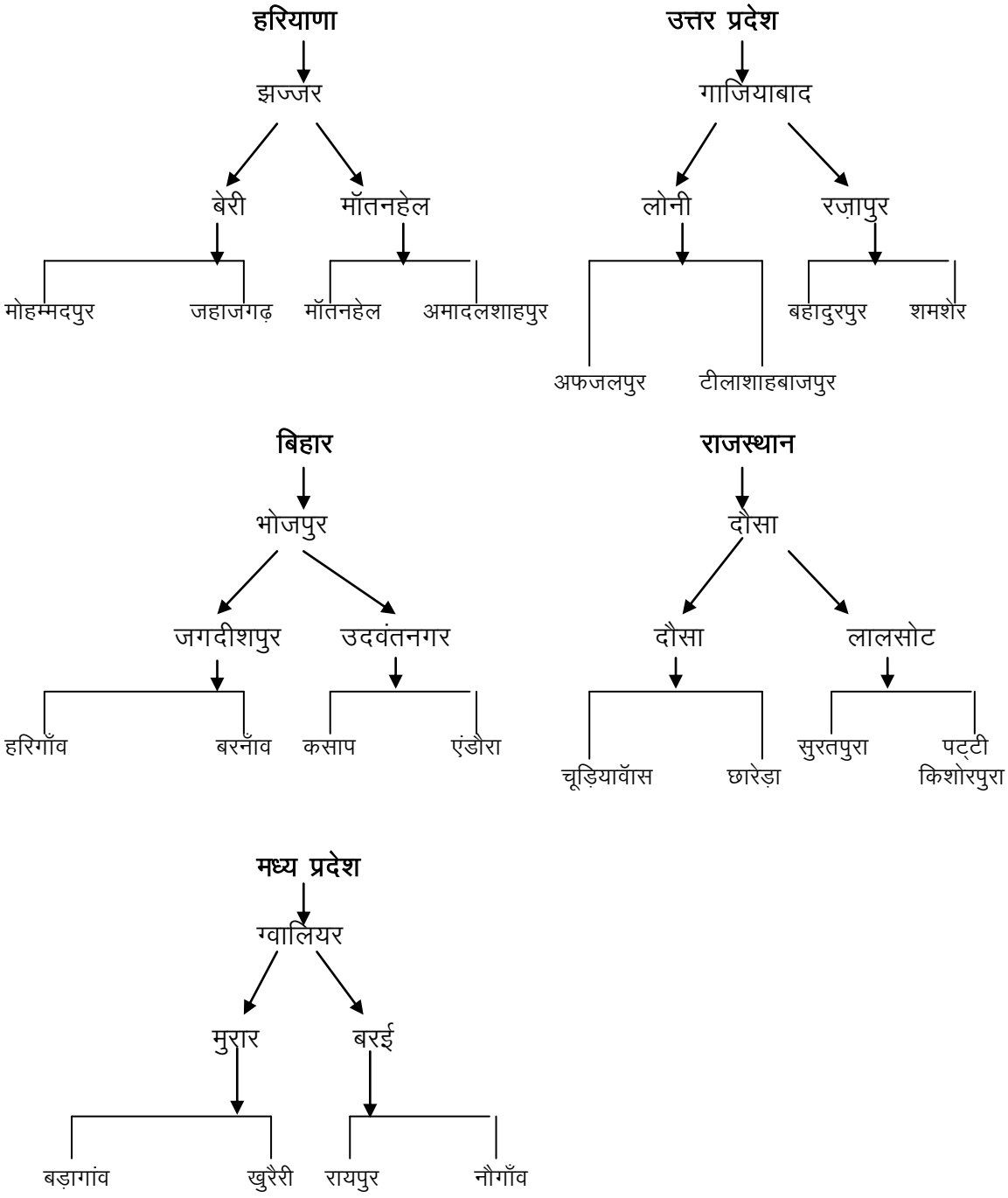

न्यादर्श

प्रस्तुत शोध हेतु चयनित न्यादर्श में ग्राम पंचायतों से संबंधित ग्राम पंचायत सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद् सदस्य, चयनित ग्राम पंचायत के समुदाय के सदस्य, चयनित ग्राम पंचायत क्षेत्र के स्कूलों के अध्यापक और संबंधित शिक्षा अधिकारियों से आँकड़ें एकत्रित किये हैं। प्रस्तुत अध्ययन का स्वरुप निम्न है–

न्यादर्श के रूप में शामिल पंचायती राज संस्थाओं के सदस्यों की संख्या का राज्यवार विवरण

राज्य	जिला	ब्लॉक	गाँव	ग्राम पंचायत		पंचायत समिति		जिला परिषद्		गाँव के सदस्य		स्कूल के अध्यापक		शिक्षा अधिकारी	
				पु.	म.	पु.	म.	पु.	म.	पु.	म.	पु.	म.	पु.	म.
उत्तर प्रदेश	गाज़ियाबाद	लोनी	अफज़लपुर	3	2	–	1	1	–	5	5	4	3	2	1
			टीलाशाहबाजपुर	3	2	–	1	1	1	5	4	4	1	1	–
		रज़ापुर	बहादुरपुर	4	1	1	–	–	1	5	5	3	4	1	1
			शमशेर	3	2	1	–	1	–	5	5	3	2	1	1
			कुल संख्या	13	7	2	2	3	2	20	19	14	10	5	3
			पु.+म. संख्या	20		4		5		39		24		8	
राजस्थान	दौसा	दौसा	चूड़ियावॉस	5	1	–	1	–	1	5	5	4	2	2	1
			छारेड़ा	4	1	1	–	1	–	4	5	6	3	1	1
		लालसोट	सुरतपुरा	3	2	1	1	–	1	5	5	5	3	1	–
			पटट्ी किशोरपुरा	4	1	1	–	1	1	5	3	5	2	2	1
			कुल संख्या	16	5	3	2	2	3	19	18	20	10	6	3
			पु.+म. संख्या	21		5		5		37		30		9	
मध्यप्रदेश	ग्वालियर	मुरार	बड़ा गाँव	4	1	–	1	–	1	5	3	4	2	2	–
			खुरैरी	5	1	1	–	1	–	5	5	3	5	1	1
		बरई	नौगाँव	3	1	–	1	1	1	5	4	4	2	1	–
			रायपुर	3	2	1	1	1	1	5	5	3	2	1	1
			कुल संख्या	15	5	2	3	3	3	20	17	14	11	5	2
			पु.+म. संख्या	20		5		6		37		25		7	
राज्य	जिला	ब्लॉक	गाँव	ग्राम पंचायत		पंचायत समिति		जिला परिषद		गाँव के सदस्य		स्कूल के अध्यापक		शिक्षा अधिकारी	
				पु.	म.	पु.	म.	पु.	म.	पु.	म.	पु.	म.	पु.	म.
हरियाणा	झज्झर	बेरी	मोहम्मदपुर माजरा	6	4	1	–	1	–	5	5	9	5	3	1

			जहाजगढ़	5	3	1	—	1	—	5	5	15	6	—	—
		मॉतनहेल	मॉतनहेल	12	4	1	1	1	—	5	5	13	5	1	1
			अमादलशाह पुर	4	2	1	—	—	1	5	5	1	—	—	—
			कुल संख्या	27	13	4	1	3	1	20	20	38	16	4	2
			पु.+म.संख्या	40		5		4		40		54		6	
बिहार	भोजपुर	जगदीश पुर	हरिगाँव	5	1	—	1	1	1	5	4	5	3	3	
			बरनाँव	3	2	—	1	—	—	5	2	3	2	—	1
		उदवंत नगर	कसाप	8	3	1	—	—	1	5	3	5	3	1	—
			एंडौरा	4	1	1	1	1	1	5	4	6	1	1	—
			कुल संख्या	20	7	2	3	2	3	20	13	19	9	5	1
			पु.+म. संख्या	27		5		5		33		28		6	

राज्यों से प्राप्त आँकड़ों के प्रत्युत्तरदाताओं में महिलाओं की संख्या

राज्य	ग्राम पंचायत	पंचायत समिति	जिला परिषद्	गाँव के सदस्य	स्कूल के अध्यापक	शिक्षा अधिकारी
उत्तरप्रदेश	7	2	2	19	10	3
राजस्थान	5	2	3	18	10	3
मध्यप्रदेश	5	3	3	17	11	2
हरियाणा	13	1	1	20	16	2
बिहार	7	3	3	13	9	1
कुल संख्या	37	11	12	87	56	11

प्रत्युत्तरदाताओं की आयु स्तर का विवरण (प्रतिशत में)

राज्य	आयु वर्ग	आयु वर्ग	आयु वर्ग	आयु वर्ग	आयु वर्ग
	19–30	30–40	40–50	50–60	60 से उपर
हरियाणा	8%	20%	30%	18%	24%
उत्तरप्रदेश	15%	21%	20%	21%	23%
राजस्थान	19%	18%	25%	11%	27%
मध्यप्रदेश	6%	30%	16%	18%	30%
बिहार	7%	18%	21%	21%	33%

प्रत्युत्तरदाताओं की शिक्षा के स्तर का विवरण (प्रतिशत में)

राज्य	अनपढ़	कक्षा 1 से 5 तक	कक्षा 8 से 10 तक	कक्षा 10 से 12 तक	स्नातक एवं इससे उपर
हरियाणा	40%	18%	17%	20%	5%
उत्तरप्रदेश	30%	28%	15%	21%	6%
राजस्थान	35%	20%	22%	16%	7%
मध्यप्रदेश	42%	15%	18%	21%	4%
बिहार	45%	14%	19%	18%	4%

आँकड़ों हेतु प्रयुक्त उपकरण

साक्षात्कार (स्वनिर्मित) – शोध के विषय की आवश्यकता एवं प्रकृति के अनुरूप शोधकर्ता ने ग्राम पंचायत के सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद् के सदस्य, गाँव के सदस्य, अध्यापकों ओर शिक्षा अधिकारियों के लिए साक्षात्कार अनुसूचियों का निर्माण किया है। सभी साक्षात्कारों को रिकॉर्ड किया गया जिसे बाद में कम्प्यूटर के माध्यम से सुनकर इन साक्षात्कारों का विश्लेषण किया गया।

अवलोकन – चयनित क्षेत्र की ग्राम पंचायत के सदस्यों के संबंध का अवलोकन, ग्राम पंचायत की समितियों के कार्यों में महिला सदस्यों की भूमिका का अवलोकन, ग्राम पंचायत द्वारा कराए गए कार्यों में महिला सदस्यों की सहभागिता का अवलोकन, ग्राम संबंधी समस्याओं के समाधान में ग्राम पंचायत की तत्परता व सहयोग में महिला सदस्यों की सहभागिता का अवलोकन, गाँव में पंचायती राज संस्थाओं द्वारा कराए गए प्रमुख विकास कार्य, गाँव में शिक्षा का स्तर व वर्तमान में पढ़ाई–लिखाई का माहौल, गाँव में बिजली पानी की सुविधा, गाँव की वर्तमान में प्रमुख समस्याएँ, ग्राम पंचायत व समुदाय के व्यक्तियों के आपसी संबंध, अनुसूचित जाति/जनजाति, महिलाओं की शैक्षिक स्थिति का अवलोकन, शैक्षिक जागरूकता, पंचायत समिति व जिला परिषद की महिला सदस्यों की सहभागिता का ग्रामीण जीवन में भूमिका का अवलोकन करना। इस तरह शोध से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर अवलोकन किया गया।

अध्ययन से प्राप्त परिणाम

पंचायती राज संस्थाओं में महिला नेतृत्व सक्रिय व जागरूक नहीं है। अधिकांश पंचायती राज संस्थाओं में महिला सदस्यों की जगह उनका नेतृत्व ससुर, पति, ज्येष्ठ, देवर, बेटों या पोतों के द्वारा किया जा रहा है। पंचायतों की मीटिंग में और अन्य सभी प्रशासनिक कार्रवाई में महिलाओं की जगह पुरुषों के द्वारा नेतृत्व किया जा रहा है। कुछ गाँवों में महिलाओं नें स्वय नेतृत्व करने की क्षमता और जागरूकता की वजह से ही अच्छा काम किया है। लेकिन महिला सदस्यों को ग्रामीण समाज और प्रशासन का भी सहयोग नहीं मिल पा रहा है जिस कारण उनकी सदस्यता को मोहरा बना कर पुरुष

अपनी वर्चस्वता से पंचायती राज संस्थाओं का नेतृत्व कर रहे हैं। इस तरह ग्रामीण जनता का आधा भाग निष्क्रिय है। शिक्षा के संदर्भ में भी इसी कारण महिला सदस्य विद्यालय और शिक्षा की तरफ कोई ध्यान नहीं दे पाती हैं।

- वर्तमान पंचायती राज की स्थापना में 73वाँ संविधान संशोधन अपना एक विशिष्ट व महत्वपूर्ण स्थान रखता है जिसने पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी को सुनिशिचित किया इस तरह 73वें संविधान संशोधन द्वारा विकेंद्रीकरण की अवधारणा में महिलाओं की भागीदारी को संवैधानिक मान्यता मिल गई है। अतएवं पंचायतों के अधिकारों और उत्तरदायित्वों में महिलाएं भी एक महत्वपूर्ण अंग विकेन्द्रीकृत आयोजना का बन गई है।
- पंचायती राज संस्थाओं की महिला सदस्यों को पंचायती राज के अधिकार, कार्य व कानून की जानकारी बहुत कम हैं। महिला सदस्यों को पंचायती राज संस्थाओं के उत्तरदायित्वों के बारे में कोई लिखित सरकारी निर्देश प्राप्त नहीं हुए हैं।
- पंचायती राज संस्थाओं की बैठकों में महिला सदस्यों को जानबूझकार नहीं बुलाया जाता है। जिस कारण महिलाएं पंचायती राज की कार्यप्रणाली व समस्याओं को सही तरीके से समझकर कार्य नहीं कर पाती है। अध्ययन में पाया गया कि इस तरह का माहौल भी बनाया जाता है कि महिलाओं को ग्राम पंचायत व ग्राम सभा की बैठकों में भाग लेने की ज़रूरत ही नहीं है। पंचायती राज संस्थाओं संबंधी अधिकांश कार्य व अधिकार पुरूष पंचायत सदस्यों के पास है। विकेंद्रीकरण की दृष्टि से पंचायती राज की तीनों संस्थाओं में शक्ति और कार्य पुरूष पंचायती राज सदस्यों के पास है।
- राज्य और केन्द्र स्तर पर पंचायती राज संबंधित नीतियों के निर्माण में महिला सदस्यों की सहायता व सलाह नहीं ली जाती है। पंचायती राज कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में महिलाओ की सक्रिय सहायता नहीं ली जाती है। पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं से उम्मीद की जाती है कि वे आज्ञापालक बनी रहें। इस तरह निर्णयों के स्तर पर पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी उत्साहजनक स्तर नहीं हैं।
- ग्राम पंचायतों की बैठकों में विकास संबंधी विषयों चर्चा में महिलाओं की भागीदारी न के बराबर होती है। लगभग अस्सी प्रतिशत सदस्यों को चर्चाओं का पता ही नहीं है और जो चर्चाएँ होती हैं उनमें मुख्य रूप पुरूष सदस्यों के द्वारा ही भाग लिया जाता है।
- अध्ययन यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि पंचायत समिति व जिला परिषद् में तो महिलाओं की भागीदारी बहुत ही कम होती है क्योंकि ये महिलाओं के अपने गाँव से बाहर आकर काम करना पड़ता है जिसमें महिलाओं को पारिवारिक स्तर पर ही रोक दिया जाता है जो विकेंद्रीकरण के लिए चिंताजनक बात है।
- अध्ययन में यह बात स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है कि चयनित अधिकांश गाँवों में गुटबाजी स्पष्ट तौर पर देखी जा सकती है जिससे ग्राम पंचायतें दो गुटों में बँटकर रह जाती जाति के आधार पर भी ग्राम पंचायतों में गुटबाजी हो जाती है। ग्राम पंचायत की मीटिंग की महिला सदस्यों को जानकारी नहीं दी जाती है। ग्राम पंचायत एकजुटता से अपने कार्य नहीं कर पाती हैं और कार्यों में भेदभाव भी रहता है जो कि पंचायती राज के उद्देश्यों के विरूद्ध है। इस तरह के माहौल में महिला सदस्यों के लिए काम करना और भी चुनौती पूर्ण व मुश्किल हो जाता है।
- पंचायती राज संस्थाओं की बैठकों में महिला गाँव संबंधी समस्याओं को कभी–कभी उठाती हैं। ग्राम पंचायत में महिला सदस्यों के द्वारा उठाई गई समस्याओं के समाधान का भरोसा नहीं दिया जाता या जानबूझकर नजरअंदाज किया जाता है। ग्रामीणों प्रशासन भी महिलाओं से

बातचीत नहीं करता है जिससे वे एक–दूसरे पर विश्वास नहीं कर पाते है। इस तरह महिला सदस्यों का प्रशासन से बातचीत व संवाद बहुत ही कम होता है।

- अध्ययन से स्पष्ट होता है कि लगभग 78 प्रतिशत महिला ग्राम पंचायत सदस्यों ने पिछले पाँच महीनों से पंचायत कार्यालय का दौरा नहीं किया है इस तरह बहुत कम सदस्य ही पंचायती राज की गतिविधियों में रुचि लेती हैं। ज्यादातर महिला सदस्यों को निरीक्षण संबंधी अपने दायित्वों का पता ही नहीं है। पंचायत समिति व जिला परिषद महिला सदस्यों की रुचि गाँव के निरीक्षण में बहुत ही कम है।
- महिला सरपंचो, महिला पंचायत समिति अध्यक्ष, महिला जिला परिषद सदस्यों के मुकाबले में शैक्षिक नौकरशाही और प्रशासन के पास ही ज्यादा अधिकार हैं । महिला पंचायती राज सदस्यों को कानूनी दाँव पेंच और प्रशासनिक नियमों में उलझा दिया जाता है जिससे वे कार्य नहीं कर पाती है।
- महिला पंचायती राज सदस्यों की गाँव के निरीक्षण में रुचि नहीं रहती है। महिलाएं पीने के पानी, तालाब, स्कूल और नशाबंदी, गाँवों के गंदे पानी की निकासी की अच्छी व्यवस्था की मांग सामूहिक शौचालय बनाने की मांग इत्यादि विषयों को लेकर काम करना चाहती है जबकि पुरूष मरम्मत, भवन निर्माण सड़क गली खड़ज़े के कार्यो में ज्यादा रुचि दिखाते है।
- विकेंद्रीकरण में महिलाओं को उचित स्थान नहीं मिला है। इसका एक अहम् कारण है महिलाओं की वास्तविक भूमिकाओं का विलोपन। साधारणतः महिला पंचायत सदस्यों को नीति–निर्धारण में नहीं जोड़ा जाता है।
- ग्राम सभा पंचायती राज की नींव है। अध्ययन में यह बात उभरी है कि ग्राम सभा केवल औपचारिकता के तौर पर कार्य कर रही है। ग्राम सभा में ग्राम पंचायत के कार्यों, गाँव की समस्याएँ व समाधान, ग्रामीण विकास, शैक्षिक मुद्दों पर बहुत ही कम चर्चा होती है। ज्यादातर ग्राम सभा की बैठक में अध्ययन में पाया गया कि लगभग पुरूष ही ग्राम सभा की बैठक में हिस्सा लेते हैं महिलाओं की भागीदारी न के बराबर है इस तरह ग्राम सभा एक बातचीत के मंच के रूप में नहीं उभर पा रही है।
- पंचायती राज संस्थाओं में दलित महिला नेतृत्व जागरूक व सक्रिय नहीं है। दलित जाति की महिलाओं के मुकाबले में वर्चस्वशाली लोगों द्वारा उनके अनुसार चलने वाले महिला नेताओं को समर्थन देकर जितवाया जाता है।
- चयनित राज्यों में महिलाओं की सहभागिता के विभिन्न घटक के द्वारा चाहे वे सीधे तौर पर उद्देश्य थे या नहीं, परंतु फिर भी पहले से महिलाओं की सहभागिता की गुणवत्ता में कुछ सुधार हुआ है परंतु परिणाम बहुत आशाजनक नहीं रहे हैं। प्रशासकों ने अभिप्रेरित होकर अच्छा कार्य नहीं किया है। प्रशासनिक कुशलता का विकेन्द्रीकरण का प्रभाव पड़ता है लेकिन इसके लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति का होना ज़रूरी है।

अध्ययन से प्राप्त सुझाव एवं निष्कर्ष

महिलाओं के लिए उचित व मानकीकृत प्रशिक्षण– पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के सशक्त नेतृत्व के लिए जरूरी है कि विभिन्न ग्रामीण विकास संस्थान ग्रामीण महिलाओं की समस्याओं को ध्यान में रखकर मानकीकृत प्रशिक्षण मॉडयूल बनाये। ग्रामीण महिलाओं की सामाजिक, पारिवारिक, आर्थिक और शैक्षिक समस्याओं को ध्यान में रखकर उन्हें प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। पंचायती राज संस्थाओं में सक्रिय व सफल महिला पंच व संरपंचों के द्वारा भी प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। प्रशिक्षण

महिलाओं की सुविधानुसार होना चाहिए जिसे वे आसानी से कर सकें। प्रशिक्षण में मॉडल पंचायतों का मैदानी दौरा भी करवाना चाहिए जिससे उन्हें व्यावहारिक अनुभव हो सकें, इस तरह प्रशिक्षण को अनुभवात्मक स्वरूप देना जरूरी है। महिलाओं के प्रशिक्षण समय समय पर होना चाहिए जैसे पंच सरपंच बनते ही ओर साल में कम से कम एक प्रशिक्षण जरूर होना चाहिए जिससे निरंतरता बनी रहें। हर स्तर के प्रशिक्षण का स्वरूप और विषयवस्तु अलग होनी चाहिए ओर उसमें एक जुड़ाव भी रहना चाहिए। प्रशिक्षण का स्वरूप वीडियो, ऑडियो, लिखित व मौखिक स्वरूप का भी होना चाहिए।

शिक्षित महिला सशक्त नेतृत्व– यदि महिलाएं ग्रामीण विकास की धारा में भागीदार बनें तो उनका शिक्षित एवं जागरूक होना आवश्यक है। ग्रामीणों को लड़कियों को पढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना जरूरी है जिससे आने वाली ग्रामीण महिलाओं की नेतृत्व की पीढ़ी पढ़ी लिखी होगी। ग्रामीण महिलाओं में आत्मविश्वास और अपने अधिकारों के बारे में जागरूकता शिक्षा के द्वारा ही पैदा किया जा सकता है। ग्रामीण योजनाओं के बारे में अनभिज्ञता और जानकारी न होना ग्रामीण विकास में महिलाओं के योगदान में रूकावट पैदा करता है। प्रशासन के द्वारा महिलाओं कों आधी अधूरी जानकारी दी जाती है और उन्हें प्रशासनिक नियम कानूनों में उलझा दिया जाता है। इसलिए स्वयं नेतृत्व और खुद की सोच के लिए महिलाओं का शिक्षित होना आवश्यक हो जाता है। महिलाओं की सक्रिय भागीदारी के लिए साक्षरता का उत्तरदायित्व पंचायती राज संस्थाओं पर आ जाता है उन्हें साक्षरता एवं प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय का दर्जा देना होगा। एक पंचायत में शिक्षा प्रसार समिति बनाई जानी चाहिए जो कार्य विभाजन, पाठ्य सामग्री, वाचनालय इत्यादि का कार्य करे। काम करने वाले लोगों के लिए रात्रि पाठशाला का आयोजन अत्यंत आवश्यक है।

महिला संरपच छवि राजावत ने अपने एक साक्षात्कार में बताया कि महिला सशक्तिकरण के लिए महिलाओं को उच्च शिक्षा दिलाने कि साथ ही उन्हें रोजगार भी उपलब्ध कराया जाए। आमतौर पर लोग सरकारी नौकरी को ही तवज्जों देते हैं, लेकिन महिलाओं को इससे कुछ अलग सोचना होगा। वे उच्च शिक्षा ग्रहण करने के बाद सिर्फ सरकारी नौकरी के पीछे दौड़ने के बजाय कुछ ऐसा करें जो मिसाल बन सकें। हमारे देश में स्वयंसहायता समूहों को विशेष तवज्जो मिल रहा है। समूह बनाकर अपना कारोबार शुरू किया जा सकता है। तमाम लोगों ने समूह के जरिए नई इबारत लिखी है। वे हमारे लिए उदाहरण हैं। हमें सीख लेनी चाहिए और ग्रुप के जरिए अपना रोजगार शुरू करना चाहिए।

सामाजिक जारूकता – महिलाओं के सशक्त नेतृत्व के लिए आवश्यक है कि समाज महिलाओं के लिए जागरूक हो। पुरूषों के द्वारा महिलाओं के नेतृत्व को स्वीकारना जरूरी है इसके लिए सरकार ग्रामीण समाज में विभिन्न मीडिया के संसाधानों के द्वारा जागरूकता फैलायें। महिलाओं के नाम पर पति, ससुर, बेटा और पोता इत्यादि के द्वारा पंचायतों में प्रतिनिधित्व व कार्य किया जा रहा है। महिलाओं को अभी भी नाम मात्र के लिए चुनाव लड़ाकर वास्तविक रूप से उनके पदों का प्रयोग व कार्यान्वयन पुरूषों के द्वारा किया जा रहा है। इसलिए सरकार को महिलाओं को भी जागरूक बना कर तैयार करना होगा कि वे अपने पदों व शक्तियों का स्वयं इस्तेमाल करें। पुरूषों को भी जागरूक करना होगा कि वे महिलाओं को ग्रामीण विकास में कार्य करनें दें व उनकों प्रोत्साहित करें। प्रशासनिक व पंचायती राज अधिकारियों को निणर्य में केवल महिलाओं की ही भागीदारी को प्रोत्साहन देना चाहिए पुरूषों को बिल्कुल इस तरह की गतिविधियों से दूर रखना चाहिए।

शैक्षिक पाठ्यक्रमों में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की भूमिका को शामिल करना – विद्यालय स्तर से लेकर उच्च शिक्षा के पाठ्यक्रमों में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की भूमिका को शामिल करना चाहिए। विद्यालयी पाठ्यक्रम में विद्यार्थी महिलाओं की भूमिका को जान कर भविष्य में समाज के अंदर उसे अपना सकते है। बालक–बालिका दोनों ही अपने आस पड़ोस और ग्रामीण समाज

में महिला नेतृत्व के महत्व व समझ को बता सकतें है जिससे घर परिवार और ग्रामीण समुदाय में एक सकारात्मक माहौल बनेगा। उच्च शिक्षा में अध्ययन के बाद लड़कियाँ पंचायती राज संस्थानों में नेतृत्व के लिए तैयार हो सकती है और लड़कें भी अध्ययन के बाद महिलाओं के ग्रामीण विकास में योगदान को समझ कर प्रोत्साहित कर सकते है। इस तरह राजनीति विज्ञान, इतिहास, साहित्य, समाजशास्त्र, महिला अध्ययन व विकास अध्ययन इत्यादि अनुशासनों के पाठ्यक्रमों में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की भूमिका को शामिल करके दूरगामी सकारात्मक परिणाम प्राप्त किए जा सकते है।

पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं पर शोध व सर्वेक्षण को बढ़ावा देना– पंचायती राज में महिलाओं की भूमिका पर समय समय पर शोध व सर्वेक्षण होना चाहिए। शोध व सर्वेक्षण क्षेत्र, राज्य व गाँव के स्तर पर होना चाहिए ताकि ज़मीनी वास्तविकताओं से रूबरू होकर हर गाँव के स्तर पर समस्याओं का समाधान हो सकें। शोध में महिलाओं से ऑकड़े प्राप्त करना कठिन कार्य है इसलिए वास्तविक ऑकड़ों की प्राप्ति के लिए सरकारी तौर पर प्रयास होने चाहिए। लड़कियों के द्वारा भी शोध कार्य किया जा सकता है क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में लड़कियाँ आसानी से ऑकड़े प्राप्त कर सकती है। समस्या आधारित शोध कार्य भी किया जा सकता है जिससे समस्याओं के समाधान प्राप्त हो सकें। अनुभव, भागीदारी व जातिवृतात्मक शोध पद्वतियाँ इस क्षेत्र में कारगर साबित होगीं। एन.जी.ओ, ग्रामीण शोध संस्थान और विश्वविद्यालयों को पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की भूमिका पर शोध के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए।

महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना – गाँव की महिलाएँ आर्थिक रूप से सशक्त नहीं है। ज्यादातर जातियों में महिलाएँ पैतृक संपत्ति की उत्तराधिकारी नहीं हैं यदि महिलाएँ आर्थिक रूप से सशक्त नहीं होंगी तो कैसे अपनी भूमिका पंचायतों में प्रभावी रूप में निभा पायेंगी। कृषि व खेती बाड़ी के आधार पर जो भी कमाई होती है उसमें महिलाओं का सबसे ज्यादा योगदान रहता है लेकिन महिलाओं का घर की संपत्ति में ना के बराबर अधिकार होता है। अभी ग्रामीण क्षेत्रों में घर के खर्चे धन व संपत्ति के मामलों में महिलाओं पर विश्वास नहीं किया जाता है और इस तरह का मनोवैज्ञानिक वातावरण रहता है कि इस तरह के कार्य केवल पुरुष वर्ग ही कर सकता है। पंचायती राज संस्थाओं के काम काज की प्रणाली में भी यही मानसिकता काम करती है कि महिलाएं आर्थिक आधार के कार्य नहीं कर सकती है। इस तरह हमें इस तरह का सकारात्मक वातावरण बनाना पड़ेगा कि समाज महिलाओं पर विश्वास करके उनको आर्थिक आधार पर सशक्त बनायें।

कल्याणकारी व सरकारी योजनाओं के कार्यान्वयन में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करना – पंचायती राज संस्थाओं में केंद्र व राज्य स्तर की योजनाएं व कार्यक्रम के कार्यान्वन में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जानी चाहिए और ग्रामीण महिलाओं और पंचायती राज संस्थाओं की सदस्यों को इनका अहम हिस्सा बनाया जाना चाहिए। कुछ योजनाएं इस तरह की होनी चाहिए जैसे कि पीने के पानी का प्रबंध, सफाई की व्यवस्था, दहेज प्रथा व नशाबंदी, लड़कियों की शिक्षा का प्रबंध इत्यादि को केवल महिलाओं को सौंप देना चाहिए जिससे समाज में एक तरह का संदेश भी जायेगा और महिलाओं को अपने आप पर विश्वास भी होगा। पंचायती राज संस्थाओं से जुड़े हुए प्रशासन को भी सख्त निर्देश दिए जाऐं कि वे महिलाओं की हर तरह के ग्रामीण प्रशासन में भागीदारी को बढ़ावा दें ओर प्रोत्साहित करें। स्थानीय समस्याओं की जानकारी व समझ महिलाओं को होती है एवं उनके समाधान के उचित उपाय भी वे ही अच्छी तरह कर सकते हैं। अधिक से अधिक महिलाओं का जुड़ाव ग्रामीण स्तर के हर स्तर पर जरूरी है क्योंकि ग्रामीण समस्याओं का समाधान सहभागिता में ही छुपा है। इसलिए हमें सहभागिता की गुणवत्ता को बढ़ाना चाहिए।

ग्रामीण प्रशासन में पंचायती राज महिला सदस्यों के प्रति विश्वासपरक माहौल बनाना – पंचायती राज से जुड़े हुए ग्रामीण प्रशासन को महिलाओं की हर तरह की समस्याओं के समाधान के लिए तत्पर रहना चाहिए। पंचायती राज महिला सदस्यों द्वारा उठाई गई हर तरह की समस्याओं के समाधान के लिए प्रशासन को तैयार रहना है क्योंकि इससे महिला प्रतिनिधियों का हौंसला बढ़ेगा ओर वे आगे काम करने के लिए अभिप्रेरित होगीं। पुरूष पंचायती राज सदस्यों की महिला नेतृत्व के अंदर काम करने के लिए प्रशासन को प्रोत्साहित करना पड़ेगा और पुरूषों की दखलअंदाजी को प्रशासनिक तौर पर रोकना होगा ताकि महिला सदस्यों के द्वारा वास्तविक तौर पर पंचायती राज में सहभागी बनाया जाए।

ग्राम सभा में महिलाओं की भूमिका को बढ़ाना– ग्राम सभा लोकतांत्रिक व प्रत्यक्ष विकेंद्रीकरण का प्रथम सोपान है। ग्राम सभा में महिलाओं की भूमिका को बढ़ाना चाहिए। इसकी नियमित बैठक होनी चाहिए और इसमें ग्रामीण विकास समेत सभी मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए जिससे महिलाओं की रुचि बढ़ेगी तथा ग्राम सभा सामाजिक रूप से मजबूत बनेगी। ग्रामीण महिलाओं को ग्राम सभा के महत्व, आवश्यकता और उपयोगिता के बारे में बताना चाहिए जिससे वे ग्राम पंचायत पर नियंत्रण रख सकती हैं।

गाँवों का सर्वांगीण विकास जरूरी है– पंचायतों को ग्रामीण विकास के सामाजिक कल्याणकारी कार्यों पर भी ध्यान देना होगा जिससे विद्यालयों में पढ़ाई का माहौल बन सकता है। चयनित गाँवों में पीने के पानी की समस्या थी इसलिए गाँव की महिलाएँ सुबह दूर कुँओं से पानी लाने में व्यस्त रहती थीं जिससे विद्यार्थी स्कूल देर से पहुँचते थे। बिजली की समस्या से भी बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। गाँव में बिजली की समस्या और पीने के पानी की समस्या हल होने पर भी विद्यालयों में पढ़ाई पर अच्छा असर देखा जा सकता है। इसलिए पंचायतों को चारों तरफ सक्रिय रूप से कार्य करना होगा विशेषतः बच्चों की शिक्षा के संदर्भ में। सरकार को गाँवों के सामाजिक शैक्षिक विकास के साथ– साथ आर्थिक विकास पर भी ध्यान देना चाहिए। लोगों को अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक करना भी जरूरी है जिससे वे स्थानीय संस्थाओं में शामिल हो सकें।

पंचायती राज संस्थाओं के लिए एक अच्छी अनुवीक्षण व्यवस्था का विकास किया जाए – विकेन्द्रीकरण के लिए आवश्यक है कि एक अच्छी अनुवीक्षण व्यवस्था का विकास किया जाए। समुदाय आधारित अनुवीक्षण व्यवस्था भी लागू की जा सकती है। योजनाओं का सामाजिक अंकेक्षण व आंकलन और निरंतर मूल्यांकन किया जाना चाहिए। पंचायती राज संस्थाओं के द्वारा भी सरकार को विकास कार्यक्रमों व योजनाओं का मूल्यांकन व अनुवीक्षण करवाते रहना चाहिए। चयनित स्थानीय सरकार, नागरिक दोनों के उत्तरदायित्व के लिए आवश्यक है कि लेखा, लेखापरीक्षण की अच्छी व्यवस्था विकसित की जाये जिससे संसाधनों के प्रयोग करने की सूचना पर विश्वास हो। इस तरह की व्यवस्था से महिलाओं की उचित व संवैधानिक भूमिका ग्रामीण विकास में संभव हो सकती है।

पुरूषों का पंचायती राज संस्थाओं में सदस्यों का अनाश्यक रूप से हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए – पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका नकारात्मक नहीं होनी चाहिए। महिला नेतृत्व की जगह पुरूषों का अनावश्यक हस्तक्षेप पर उचित कार्रवाई होनी चाहिए जिससे महिलाओं की सहभागिता से ग्रामीण विकास में कोई भी रूकावट नहीं आये। पंचायती राज संस्थाओं में स्थानीय अभिजन ने भी नियंत्रण कर लिया है जो कि विकेंद्रीकरण के उद्देश्यों को ही समाप्त कर देता है।

महिलाओं के विकास की जिम्मेदारी केवल सरकारी मशीनरी पर नहीं थोपनी चाहिए – समुदाय भी अपनी सामाजिक समस्याओं को समझे और जिम्मेदारी भी महसूस करें। पंचायतों को सरकारी संस्था नहीं

समझना चाहिए। गाँवों के विकास को सामूहिक उत्तरदायित्व के रूप में लिया जाए जिसमें पुरूषों व महिलाओं का समान उत्तरदायित्व हो इसे केवल सरकारी ज़िम्मेदारी ही नहीं समझें। विकेन्द्रीकरण के प्रयासों की सफलता के लिए आवश्यक है कि यह एक सहभागी सोच हो। यह सहभागी सोच उच्च स्तर पर नेताओं में भी होनी चाहिए। स्थानीय सरकारों के साथ इनकी काम करने की इच्छा होनी चाहिए। अतः पंचायतों को सक्रिय बनाने के लिए सामुदायिक सहभागिता जरूरी है जिससे गाँवों का विकास सुनिश्चित होगा। इस संदर्भ में विकेन्द्रीकरण के मार्ग के अवरोधों का मूल्यांकन करना चाहिए। आज के समय में पंचायती राज को महिलाओं का सहयोग न मिल पाना भी पंचायती राज के लिए हानिकारक रहेगा।

निष्कर्ष

विभिन्न रिपोर्टों व ऑकड़ों के अध्ययन को देखते हुए कहा जा सकता है कि भारत में 73वें संशोधन के द्वारा महिलाओं के प्रतिनिधित्व से सहभागी लोकतंत्र की अवधारणा को बल मिला है। 73वें संविधान संशोधन की व्यवस्थाओं के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं के तीनों स्तर पर एक–तिहाई स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए है जो कि अब पचास प्रतिशत तक आरक्षित हो गए है। 73वें संशोधन का प्रत्यक्ष प्रभाव यह रहा कि पर्दे की ओट में सिमटी महिलाओं को अब बाहर आना पड़ा जिससे पंचायती राज में महिलाओं की सतर्क भागीदारी बढ़ी। अनेक कमियों और दुर्बलताओं के बावजूद पंचायती राज ग्रामवासियों की जीवन पद्धति का केन्द्र बनता जा रहा है। इस तरह निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि 73वें संविधान संशोधन से महिलाओं की पंचायती राज संस्थाओं में भागीदारी बढ़ी है। लेकिन सक्रिय भागीदारी के लिए अभी हमें, शैक्षिक, सामाजिक और आर्थिक विकास करना होगा। पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से लोकतांत्रिक मूल्यों, विकास के अधिकार की अवधारणा, जन जागरूकता, पिछड़े वर्गों का उत्थान, महिला सशक्तिरण, जनसंख्या नियन्त्रण, ग्रामीण विकास योजनाओं का क्रियान्वयन तथा प्रशासन में जनसहभागिता जैसे कारकों को बल मिला है।

संदर्भ

- *Desai, Vasant (1990). **Panchayati Raj: Power to the people.** Bombay: Himalayan Punlishing House.*
- *Kaushik, Susheela (1993). **Women and Panchayati Raj.** New Delhi: Har-Anand publications*
- *जैन, प्रकाश (1993), **"पंचायतों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व"**, कुरुक्षेत्र, नवम्बर, प्रकाशन विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली।*
- *सिंह, अशोक कुमार (1994), **"ग्रामीण क्षेत्रों में महिला तथा शिशु विकास कार्यक्रम"**, योजना, मई, प्रकाशन विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली।*
- *ईस्टर्न बुक कम्पनी (1997), **"भारत का संविधान"**, ईस्टर्न बुक कम्पनी, लखनऊ। कुंवर, नीलिमा*
- *मिश्रा, स्वेता (1997), **"पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की सहभागिता"**, कुरुक्षेत्र, मई, प्रकाशन विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली।*
- *एवं कनोजिया, सीमा (1998), **"पंचायती राज में महिला ग्राम प्रधानों की भूमिका"**, कुरुक्षेत्र, सितम्बर, प्रकाशन विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली।*
- *पाँडा, स्नेहलता (1998), **"पंचायतों में महिलाओं की भूमिका"**, योजना, अक्टूबर, प्रकाशन विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली।*
- *सिसोदिया, यतीन्द्र सिंह (1998), **"लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण और महिलाओं का सशक्तिकरण"**, कुरुक्षेत्र, अप्रैल, प्रकाशन विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली।*
- *शरण, श्रीवल्लभ (1998), **"पंचायतों में महिलाएँः जरूरत है सक्रिय भूमिका की",** कुरुक्षेत्र, अप्रैल, प्रकाशन विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली।*
- *कौर, सिमरन (1999), **"ग्रामीण महिलाओं में साक्षरता",** कुरुक्षेत्र, दिसम्बर, प्रकाशन विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली।*
- *चोपड़ा, डॉ सरोज (2000), **"स्थानीय प्रशासन"**, राजस्थान हिंदी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर।*
- *सिहं, वी.एन. (2000), **"ग्रामीण समाजशास्त्र"**, विवेक प्रकाशन, दिल्ली।*

- *सेठ, शमता (2000),* ***"पंचायती राज, हिमांशु पब्लिकेशन्स"****, नई दिल्ली।*
- *सिसोदिया, यतीन्द्रसिंह (2000),* ***"पंचायत राज एवं अनुसूचित जाति महिला नेतृत्व",*** *रावत पब्लिकेशन्स, जयपुर।*
- *महीपाल (2000),* ***"महिलाएँ और ग्राम सभा"****, कुरुक्षेत्र, अगस्त, प्रकाशन विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली।*
- *Pinto, Ambrose, & Reifeld, Helmut (2001).* ***Women in Panchayati Raj.*** *New Delhi: Indian Social Institute.*
- *Dhaka, Sunita, & Dhaka, Rajbir S. (2005).* ***Behind the Veil: Dalit Women in Panchayati Raj.*** *Delhi: Eastern Book Corporation.*
- *Srivastava, Alka (2006).* ***A Long Journey Ahead, (Women in Panchayati Raj), A Study in Rajasthan.*** *New Delhi: Indian Social Institute.*
- *कोडान, आनन्द सिंह, एवं अन्य (2010),* ***"पंचायती राज और महिला सशक्तिकरण"****, कुरूक्षेत्र, जून, प्रकाशन विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली।*
- *त्रिवेदी, डॉ. रश्मि एवं रानी डॉ अनीता (2010),* ***"पंचायत राज व्यवस्था में उभरता महिला नेतृत्व"****, अनु बुक्स, मेरठ।*
- *शर्मा, रविन्द्र कुमार (2010),* ***"सामाजिक विकास के लिए प्रतिबद्ध महिला सरपंच",*** *कुरूक्षेत्र, जून, प्रकाशन विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली।*